रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938
No. 759] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

का.आ. 1244(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश में अवस्थित है और दोनों संरक्षित क्षेत्र बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्याघ्र आरक्षिती कहा गया है) का कोर क्षेत्र गठित करते हैं जिसका विस्तार 716.903 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ;

और, बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती 1536.938 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका 716.903 वर्ग किलोमीटर व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र है और 820.035 वर्ग किलोमीटर मध्यवर्ती क्षेत्र है ;

और, व्याघ्र आरक्षिती में 373 प्रजातियों के फूलदार पादप, स्तनधारियों की 35 प्रजातियां, पक्षी की 238 प्रजातियां और तितलियों की 111 प्रजातियां अभिलिखित हैं ;

और, व्याघ्र आरक्षिती में महत्वपूर्ण जीव-जन्तु प्रजातियों में बाघ, जंगली भैंसा, भालू, भेड़िया, भारतीय लोमड़ी, लकड़बग्घा, सियार, भारतीय जंगली कुत्ता, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, मुजंक, चिंकारा, चौसिंगा मृग सम्मिलित हैं;

और, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य, जो बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र गठित करते हैं, की सीमा से 2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य जो बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र गठित करता है, की सीमा से 2 किलोमीटर तक विस्तारित पारिस्थितिक संवेदी जोन 1030.382 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर का साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के तीन जिलों अर्थात् उमरिया, कटनी और शाहडोल के 132 ग्रामों की सूची उनके अक्षांश और देशांतर सहित उपाबद्ध में प्रमुख बिन्दुओं के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) व्याघ्र आरक्षिती का बफर जोन पारिस्थितिक संवेदी जोन का भाग है इस लिये बफर जोन से संबंधित व्याघ्र संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना को तैयार करने के दौरान विचार में ली जाएगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 16, 22, 30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, और उन्हें सुदृढ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं हैं |

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ।

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए बृहत जल विद्युत और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी रह सकेंगे : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समापन अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
11.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे। (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण

		अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) किसी नदी या प्राकृतिक नाले के तटों से 10 मीटर और 100 मीटर के बीच में एक से अधिक ढालों वाली पहाड़ियों पर कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; (ड) पारिस्थितिक जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगें।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्ययोजना निर्देशों का पालन किया जाएगा।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	विद्युत केबलों, और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(ii) भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	(i) लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ; (ii) वन्यजीव की स्वतंत्र आवाजाही की रीति अनुज्ञात की जाएगी; (iii) स्थापनों मे विद्यमान बाड़ लगाना जिनका उपरोक्त शर्तों के साथ अनुपालन नहीं किया गया है, उन्हें अन्तिम अधिसूचना की तारीख से छह माह के भीतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हटाया या उपांतरित किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित औद्योगिक ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।

23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	कृषि प्रणली में प्रबल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	खाई -स्थल।	कोई नई खाई स्थापित नहीं की जाएगी : परंतु यह कि विद्यमान खाई स्थल का प्रचालन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि खुले में अग्नि जलाने की अनुमति न हो।
27.	डेयरी क्रियाकलाप और पशु पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि का बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1	प्रभागीय आयुक्त, शाहडोल	—अध्यक्ष
2	प्रभागीय आयुक्त, जबलपुर	—अध्यक्ष
3	जिला कलक्टर, उमरिया	—सदस्य
4	जिला कलक्टर, शाहडोल	—सदस्य
5	जिला कलक्टर, कटनी	—सदस्य
6	अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग, शाहडोल	—सदस्य
7	अधीक्षक अभियंता लोक स्वास्थ्य विभाग, शाहडोल	—सदस्य
8	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया	—सदस्य
9	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, शाहडोल	—सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी	—सदस्य
11	नगर और देश योजना विभाग का प्रतिनिधि	—सदस्य
12	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	—सदस्य

13 पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि —सदस्य

14 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ —सदस्य

15 क्षेत्र निदेशक, बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती, उमरिया —सदस्य-सचिव।

6. निर्देश शर्तें –

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/178/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

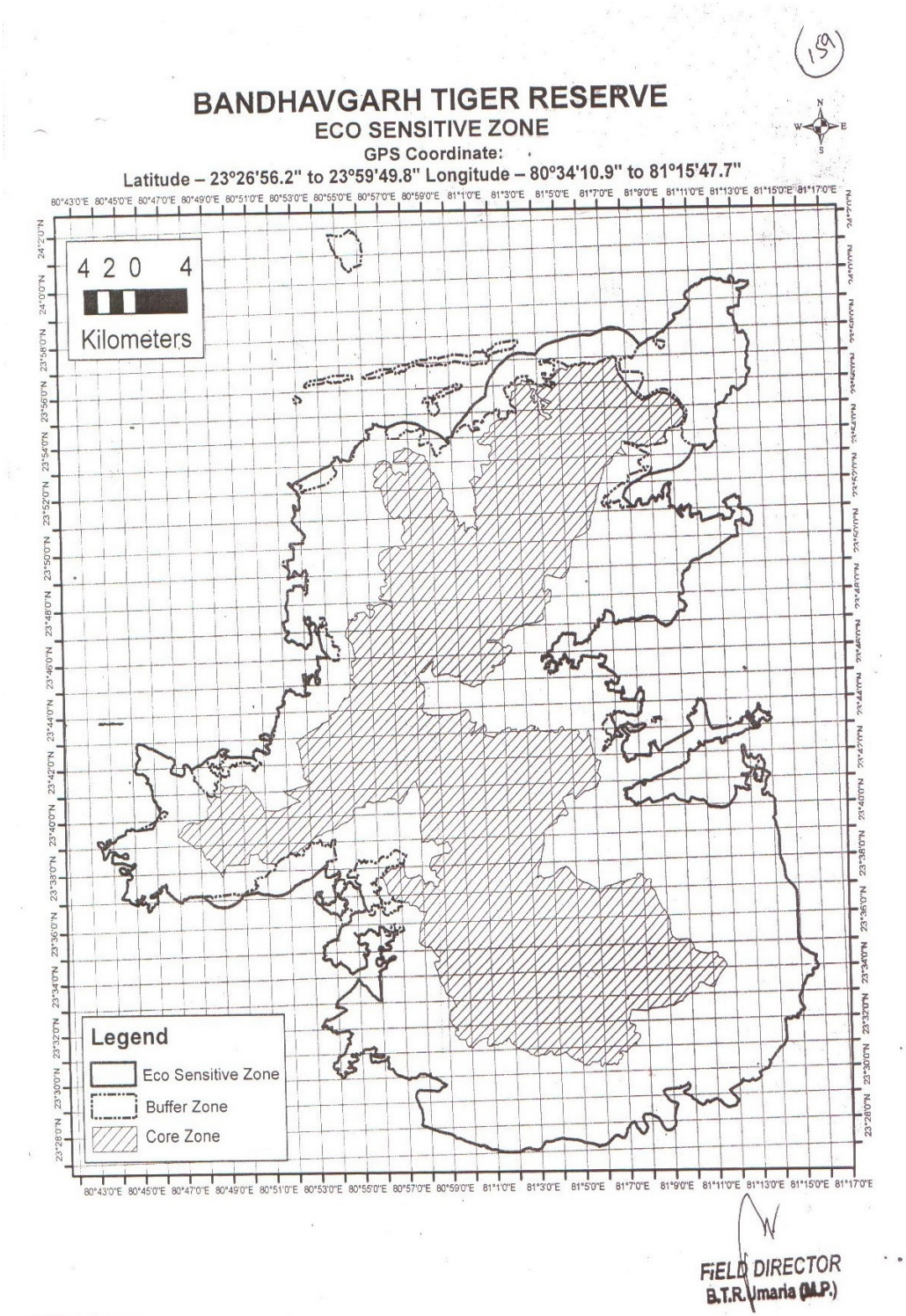

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची निर्देशांकों के साथ

सं.	ग्राम के नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1.	अटरिया	उमरिया	23.694324	80.792351
2.	बदखेरा/पंजरहा	उमरिया	23.655582	81.113183
3.	बदरेहाल	उमरिया	23.583273	80.964365
4.	बदवाही	उमरिया	23.773750	80.956400
5.	बदवाही	उमरिया	23.536404	81.139076
6.	बदवाही/मेदहा	उमरिया	23.536404	81.139076
7.	बदवार	उमरिया	23.543846	80.931738
8.	बगदारा	कटनी	23.685528	80.861861
9.	बगदारी (एफ वी)	उमरिया	23.698521	80.883706
10.	बगदारी/मौटोला/करकचहा	उमरिया	23.554444	81.174703
11.	बगदो	उमरिया	23.877139	81.129833
12.	बकेली	उमरिया	23.800389	80.923861
13.	बरदौहा	उमरिया	23.591967	80.886167
14.	बरताराई	उमरिया	23.647504	80.882888
15.	बसकुटा	उमरिया	23.469967	81.007113
16.	भरहुत/पिपरा टोला	उमरिया	23.469967	81.007113
17.	बिजौरी/हर्री/ कछारा टोला	उमरिया	23.691698	81.179885
18.	बिझरिया	उमरिया	23.726105	81.052019
19.	भमरहा	उमरिया	23.936220	81.138110
20.	चन्दवार	उमरिया	23.726105	81.052019
21.	चनसुरा	उमरिया	23.726105	81.052019
22.	चेचहरिया	उमरिया	23.514569	81.156519
23.	चेनचपुर	उमरिया	23.576740	81.182676
24.	छपर	उमरिया	23.613900	80.925653
25.	छपदौर	उमरिया	23.726105	81.052019
26.	छतनटोला	उमरिया	23.515644	80.982377
27.	छयान	उमरिया	23.613900	80.925653
28.	छोट मराइ (मराइ खुर्द)	उमरिया	23.954250	81.095972
29.	छोटी खारी	शाहडोल	23.613900	80.925653
30.	चिलहारी	उमरिया	23.514569	81.156519
31.	चिर्रवाह	उमरिया	23.608776	80.825455
32.	चितरौन	उमरिया	23.726105	81.052019
33.	चोरहा	उमरिया	23.608776	80.825455
34.	ददरौदी	उमरिया	23.660146	80.765898
35.	दमना	उमरिया	23.678531	81.105884
36.	देओरी	उमरिया	23.643819	81.099246

37.	देओरी (हनचारा)	उमरिया	23.643819	81.099246
38.	धाकोदर	उमरिया	23.632197	80.929358
39.	धामोखर	उमरिया	23.638306	80.788333
40.	धौरखोह/बंधादेव	उमरिया	23.643819	81.099246
41.	दोबहा	उमरिया	23.746056	80.978750
42.	दुलहरा	उमरिया	23.726596	81.117208
43.	गजरहा	उमरिया	23.734750	80.923667
44.	गरहरोला	उमरिया	23.719556	80.966611
45.	गटा	उमरिया	23.673240	81.103358
46.	घघौद	उमरिया	23.689784	81.104002
47.	घघदर	उमरिया	23.590570	80.935030
48.	घुनसु	उमरिया	23.488663	80.958334
49.	गिदारी	उमरिया	23.504431	81.114445
50.	गोबरातल	उमरिया	23.645375	81.176729
51.	गोहादी	उमरिया	23.645539	80.979579
52.	गोरैया	उमरिया	23.494375	81.044559
53.	गुरुवाही	उमरिया	23.753088	81.029845
54.	हरदी	उमरिया	23.948472	81.108944
55.	हरदुआ	उमरिया	23.763612	80.884654
56.	हिरौली	उमरिया	23.653672	81.189730
57.	जमुनारा	उमरिया	23.736502	81.066445
58.	झल	उमरिया	23.938694	81.068750
59.	झलवार	उमरिया	23.938694	81.068750
60.	करचुलिहा	कटनी	23.706471	80.794724
61.	करोनदी	उमरिया	23.530793	81.151202
62.	कटाहर	उमरिया	23.822500	80.980867
63.	कथाई	उमरिया	23.716525	81.160561
64.	कथली	उमरिया	23.721646	81.081520
65.	केलहरी	उमरिया	23.721646	81.081520
66.	खैरा	उमरिया	23.732697	81.073693
67.	खमहा	उमरिया	23.712860	81.091671
68.	खरीबदी	शाहडोल	23.613900	80.925653
69.	खेरवाकला	उमरिया	23.612260	80.854592
70.	खिछकिदी/सोनटोला	उमरिया	23.627583	81.139611
71.	खिटौली	कटनी	23.708333	80.832222
72.	खुसरिया	शाहडोल	23.708333	80.832222

73.	खुसरवाह	उमरिया	23.708333	80.832222
74.	कोदार	उमरिया	23.624233	80.885062
75.	कुचवाही	उमरिया	23.739228	81.044550
76.	कुदारी	उमरिया	23.739228	81.044550
77.	कुदरी टोला	उमरिया	23.919900	81.044600
78.	कुदरी/खोहरी	उमरिया	23.919900	81.044600
79.	कुदिया (विरन)	उमरिया	23.879280	80.958530
80.	कुमहर्रा	उमरिया	23.571483	81.085833
81.	कुथुलिया	उमरिया	23.857067	81.040483
82.	लखनौटी	उमरिया	23.818056	81.101583
83.	लखुमार	उमरिया	23.712860	81.091671
84.	महामन	उमरिया	23.667196	80.964805
85.	मझौली	उमरिया	23.855917	81.007278
86.	मझौली	उमरिया	23.673383	80.937900
87.	मझौली (सन)	उमरिया	23.712860	81.091671
88.	मझौली/मैरी	उमरिया	23.712860	81.091671
89.	मझगावा	उमरिया	23.612260	80.854592
90.	मझखेटा	उमरिया	23.638538	81.071200
91.	मकरा	उमरिया	23.638538	81.071200
92.	माला	उमरिया	23.732697	81.073693
93.	मलहारा	उमरिया	23.627583	81.139611
94.	मनटोला	उमरिया	23.772550	81.127445
95.	मराई कलान	उमरिया	23.626483	81.172620
96.	मरदारी	उमरिया	23.692917	80.882528
97.	मरहौन	उमरिया	23.692917	80.882528
98.	मेदकी	कटनी	23.703864	80.831574
99.	मेदरा	कटनी	23.703864	80.831574
100.	नरवार/दोन्गरीटोला	उमरिया	23.471941	81.049628
101.	नौगमा	उमरिया	23.471941	81.049628
102.	निओसी	उमरिया	23.471941	81.049628
103.	निपनीया	कटनी	23.626483	81.172620
104.	पदवार	उमरिया	23.626483	81.172620
105.	पलझा	उमरिया	23.647982	81.141195
106.	पनपाथा	उमरिया	23.692917	80.882528
107.	परासी (गदवाह)	उमरिया	23.692917	80.882528
108.	पटौर	उमरिया	23.774767	81.035900
109.	पटेहरा	उमरिया	23.626483	81.172620
110.	पथारी	उमरिया	23.626483	81.172620

111.	पटपराहा	उमरिया	23.525488	80.969239
112.	पुटोर	उमरिया	23.525488	80.969239
113.	राघोपुर	उमरिया	23.525488	80.969239
114.	रायपुर/सायापुर	उमरिया	23.663806	80.763583
115.	राखी (अमोदार)	उमरिया	23.724074	81.062096
116.	रनछा	उमरिया	23.731972	80.982083
117.	रोहनिया	उमरिया	23.464117	81.080129
118.	सकरिया	उमरिया	23.502249	81.120019
119.	सलाइया	उमरिया	23.630639	80.794111
120.	सलखानिया	उमरिया	23.758361	80.898611
121.	समरकोइनी	उमरिया	23.625230	81.158750
122.	सरवनिया	उमरिया	23.603690	80.868521
123.	सेहरा	उमरिया	23.881583	81.153194
124.	सेहरा टोला	उमरिया	23.471850	80.984367
125.	सेमरा	उमरिया	23.735596	80.852031
126.	सेमरी	उमरिया	23.792138	81.125142
127.	सुखदास	उमरिया	23.792138	81.125142
128.	ताला	उमरिया	23.721361	81.017130
129.	ताली	उमरिया	23.627861	80.820361
130.	तेकन	कटनी	23.881583	81.153194
131.	उमरिया	उमरिया	23.804800	80.936467
132.	उरदना	उमरिया	23.804800	80.936467

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

S.O. 1244(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary are located in Madhya Pradesh and both the Protected Areas together constitute the Core Area of the Bandhavgarh Tiger Reserve (hereinafter referred to as Tiger Reserve) which is spread over 716.903 square kilometres;

And whereas, the Bandhavgarh Tiger Reserve is spread over an area of 1536.938 square kilometres of which 716.903 square kilometres is core area of the Tiger Reserve and 820.035 square kilometres is the buffer area;

And whereas, 373 species of flowering plants, 35 species of mammals, 238 species of birds and 111 species of butterflies have been recorded from the Tiger Reserve;

And whereas, the important faunal species found in the Tiger Reserve include Tiger, Bison, Beer, Wolf, Indian Fox, Striped hyena, Jackal, Indian Wild Dog,Spotted Deer, Sambar deer, Barking Deer, Chinkara, Four horned Antelope;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Tiger Reserve, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to an extent of two kilometres from the boundary of Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Bandhavgarh Tiger Reserve as the Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1030.382 square kilometre with an extent of up to two kilometres from the boundary of Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Bandhavgarh Tiger Reserve.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure I.**

(3) The list of 132 villages in three Districts viz. Umaria, Katni and Shahdol of Madhya Pradesh falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation,

(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) As the buffer zone of the Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution,

(iv) rainwater harvesting, and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Madhya Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the state Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive

	or soil or noise pollution.	Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
	Regulated activities	
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the extent of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan. (d) No construction shall be allowed on hills with slopes more than 1 in 10 and upto 100 m from the banks of any river and natural nallah; (e) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per the Zonal Master Plan .
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;

		(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(ii) Promote underground cabling
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	(i) Regulated under applicable laws. (ii) shall be done in a manner to allow free movement of wildlife. (iii) Existing fencing of establishments not compliant with the above condition shall be removed or modified to meet the requirement within six months from the date of final notification.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
26.	Trenching Ground.	No new trenching shall be established. However, existing trenching ground will be operated subject to the condition that no open burning will be allowed.
27.	Dairy activities and Cattle rearing.	Regulated as per applicable laws.
28.	Use of polythene bags	Regulated as per applicable laws.
Promoted activity		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

1. Divisional Commissioner, Shahdol —Chairman;
2. Divisional Commissioner, Jabalpur —Member;

3.	District Collector, Umaria	—Member;
4.	District Collector, Shahdol	—Member;
5.	District Collector, Katni	—Member;
6.	Superintending Engineer PWD, Shahdol	—Member;
7.	Superintending Engineer Public Health Department, Shahdol	—Member;
8.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Umaria	—Member;
9.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Shahdol	—Member;
10.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Katni	—Member;
11.	Representative of the Town & Country Planning Department	—Member;
12.	Representative of the Pollution Control Board	—Member;
13.	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case	—Member;
14.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case	—Member;
15.	Field Director, Bandhavgarh Tiger Reserve,Umaria	—Member- Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/178/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

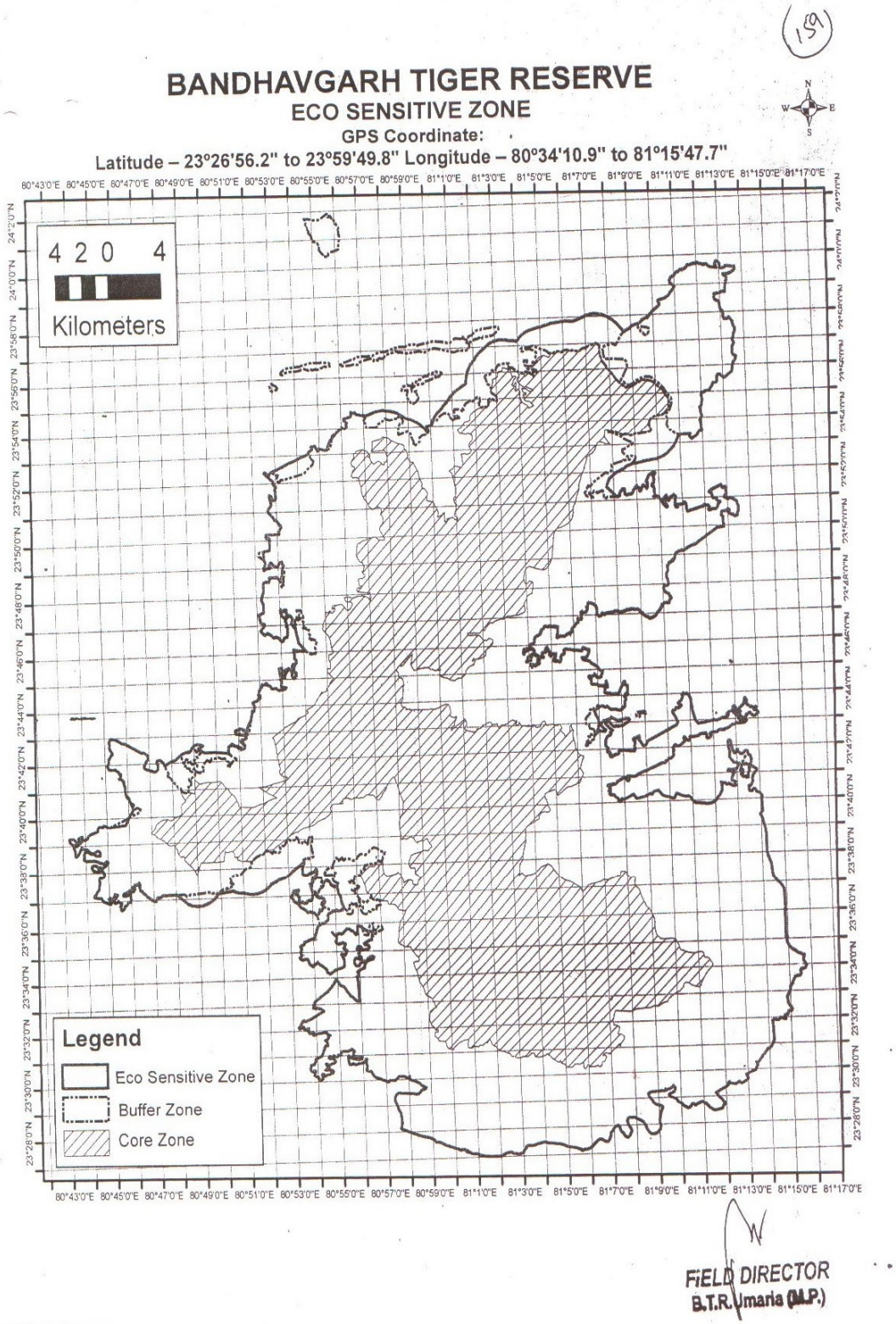

Annexure II

List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive zone

No.	Name of village	District	Lat	Long
1.	Atariya	Umaria	23.694324	80.792351
2.	Badkhera/Panjraha	Umaria	23.655582	81.113183
3.	Badrehal	Umaria	23.583273	80.964365
4.	Badwahi	Umaria	23.773750	80.956400
5.	Badwahi	Umaria	23.536404	81.139076
6.	Badwahi/Medaha	Umaria	23.536404	81.139076
7.	Badwar	Umaria	23.543846	80.931738
8.	Bagdara	Katni	23.685528	80.861861
9.	Bagdari (FV)	Umaria	23.698521	80.883706
10.	Bagdari/Mautola/Karkachaha	Umaria	23.554444	81.174703
11.	Bagdo	Umaria	23.877139	81.129833
12.	Bakeli	Umaria	23.800389	80.923861
13.	Bardauha	Umaria	23.591967	80.886167
14.	Bartarai	Umaria	23.647504	80.882888
15.	Baskuta	Umaria	23.469967	81.007113
16.	Bharhut/Pipra Tola	Umaria	23.469967	81.007113
17.	Bijauri/Harri/Kachhratola	Umaria	23.691698	81.179885
18.	Bijhariya	Umaria	23.726105	81.052019
19.	Bhamraha	Umaria	23.936220	81.138110
20.	Chandwar	Umaria	23.726105	81.052019
21.	Chansura	Umaria	23.726105	81.052019
22.	Chechariya	Umaria	23.514569	81.156519
23.	Chenchpur	Umaria	23.576740	81.182676
24.	Chhapar	Umaria	23.613900	80.925653
25.	Chhapdaur	Umaria	23.726105	81.052019
26.	Chhatantola	Umaria	23.515644	80.982377
27.	Chhayan	Umaria	23.613900	80.925653
28.	Chhot Marai (Marai Khurd)	Umaria	23.954250	81.095972
29.	Chhoti Khari	Shahdol	23.613900	80.925653
30.	Chilhari	Umaria	23.514569	81.156519
31.	Chirrwah	Umaria	23.608776	80.825455
32.	Chitraon	Umaria	23.726105	81.052019
33.	Chorha	Umaria	23.608776	80.825455
34.	Dadraudi	Umaria	23.660146	80.765898
35.	Damna	Umaria	23.678531	81.105884
36.	Deori	Umaria	23.643819	81.099246
37.	Deori (Hunchara)	Umaria	23.643819	81.099246
38.	Dhakodar	Umaria	23.632197	80.929358
39.	Dhamokhar	Umaria	23.638306	80.788333
40.	Dhaurkhoh/Bandhadev	Umaria	23.643819	81.099246
41.	Dobha	Umaria	23.746056	80.978750

42.	Dulahara	Umaria	23.726596	81.117208
43.	Gajaraha	Umaria	23.734750	80.923667
44.	Garhrola	Umaria	23.719556	80.966611
45.	Gata	Umaria	23.673240	81.103358
46.	Ghaghaud	Umaria	23.689784	81.104002
47.	Ghaghdar	Umaria	23.590570	80.935030
48.	Ghunsu	Umaria	23.488663	80.958334
49.	Gidari	Umaria	23.504431	81.114445
50.	Gobratal	Umaria	23.645375	81.176729
51.	Gohadi	Umaria	23.645539	80.979579
52.	Goraiya	Umaria	23.494375	81.044559
53.	Guruwahi	Umaria	23.753088	81.029845
54.	Hardi	Umaria	23.948472	81.108944
55.	Hardua	Umaria	23.763612	80.884654
56.	Hirauli	Umaria	23.653672	81.189730
57.	Jamunara	Umaria	23.736502	81.066445
58.	Jhal	Umaria	23.938694	81.068750
59.	Jhalwar	Umaria	23.938694	81.068750
60.	Karchuliha	Katni	23.706471	80.794724
61.	Karondi	Umaria	23.530793	81.151202
62.	Katahar	Umaria	23.822500	80.980867
63.	Kathai	Umaria	23.716525	81.160561
64.	Kathli	Umaria	23.721646	81.081520
65.	Kelhari	Umaria	23.721646	81.081520
66.	Khaira	Umaria	23.732697	81.073693
67.	Khamha	Umaria	23.712860	81.091671
68.	Kharibadi	Shahdol	23.613900	80.925653
69.	Kherwakala	Umaria	23.612260	80.854592
70.	Khichhkidi/Sontola	Umaria	23.627583	81.139611
71.	Khitauli	Katni	23.708333	80.832222
72.	Khusariya	Shahdol	23.708333	80.832222
73.	Khusarwah	Umaria	23.708333	80.832222
74.	Kodar	Umaria	23.624233	80.885062
75.	Kuchwahi	Umaria	23.739228	81.044550
76.	Kudari	Umaria	23.739228	81.044550
77.	Kudri tola	Umaria	23.919900	81.044600
78.	Kudri/Khohari	Umaria	23.919900	81.044600
79.	Kudia (Viran)	Umaria	23.879280	80.958530
80.	Kumharra	Umaria	23.571483	81.085833
81.	Kuthuliya	Umaria	23.857067	81.040483
82.	Lakhnauti	Umaria	23.818056	81.101583
83.	Lakhumar	Umaria	23.712860	81.091671
84.	Mahaman	Umaria	23.667196	80.964805
85.	Majhauli	Umaria	23.855917	81.007278
86.	Majhauli	Umaria	23.673383	80.937900

87.	Majhauli (Son)	Umaria	23.712860	81.091671
88.	Majhauli/Mairi	Umaria	23.712860	81.091671
89.	Majhgawa	Umaria	23.612260	80.854592
90.	Majhkheta	Umaria	23.638538	81.071200
91.	Makra	Umaria	23.638538	81.071200
92.	Mala	Umaria	23.732697	81.073693
93.	Malahara	Umaria	23.627583	81.139611
94.	Mantola	Umaria	23.772550	81.127445
95.	Marai Kalan	Umaria	23.626483	81.172620
96.	Mardari	Umaria	23.692917	80.882528
97.	Marhaun	Umaria	23.692917	80.882528
98.	Medki	Katni	23.703864	80.831574
99.	Medra	Katni	23.703864	80.831574
100.	Narwar/Dongritola	Umaria	23.471941	81.049628
101.	Naugama	Umaria	23.471941	81.049628
102.	Neosi	Umaria	23.471941	81.049628
103.	Nipaniya	Katni	23.626483	81.172620
104.	Padwar	Umaria	23.626483	81.172620
105.	Paljha	Umaria	23.647982	81.141195
106.	Panpatha	Umaria	23.692917	80.882528
107.	Parasi (Gadawah)	Umaria	23.692917	80.882528
108.	Pataur	Umaria	23.774767	81.035900
109.	Patehara	Umaria	23.626483	81.172620
110.	Pathari	Umaria	23.626483	81.172620
111.	Patparaha	Umaria	23.525488	80.969239
112.	Pitor	Umaria	23.525488	80.969239
113.	Raghopur	Umaria	23.525488	80.969239
114.	Raipur/Sayapur	Umaria	23.663806	80.763583
115.	Rakhi (Amodar)	Umaria	23.724074	81.062096
116.	Ranchha	Umaria	23.731972	80.982083
117.	Rohaniya	Umaria	23.464117	81.080129
118.	Sakariya	Umaria	23.502249	81.120019
119.	Salaiya	Umaria	23.630639	80.794111
120.	Salkhaniya	Umaria	23.758361	80.898611
121.	Samarkoini	Umaria	23.625230	81.158750
122.	Sarwaniya	Umaria	23.603690	80.868521
123.	Sehra	Umaria	23.881583	81.153194
124.	Sehra tola	Umaria	23.471850	80.984367
125.	Semra	Umaria	23.735596	80.852031
126.	Semri	Umaria	23.792138	81.125142
127.	Sukhdas	Umaria	23.792138	81.125142
128.	Tala	Umaria	23.721361	81.017130
129.	Tali	Umaria	23.627861	80.820361
130.	Tekan	Katni	23.881583	81.153194
131.	Umaria	Umaria	23.804800	80.936467
132.	Urdana	Umaria	23.804800	80.936467

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.